कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 2292/2016 मोहनलाल शर्मा सेवानिवृत प्रधानाचार्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 25.06.2018 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारी को पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष में विधि के अनुसार एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करनें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देनें सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

उक्त निर्णय की पालना में अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 25.04.2018 विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठता सूची 1956–61 वरिष्ठता क्रमांक 2860 के अनुसार प्रधानाध्यापक मावि पद पर डीपीसी वर्ष 1987–88 से, उपप्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दिनांक 08.08.1994 (1993–94) से एवं प्रधानाचार्य उमावि पद हेतु दिनांक 27.07.1997 (1995–96) की डीपीसी के आधार पर पदोन्नति दिये जाने तथा तद्नुसार वेतन का पुनर्निर्धारण कर रिवाइज्ड पेन्शन व तद्नुसार अन्य समस्त परिलाभ पूर्व तिथि से मय ब्याज दिलायें जाने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 31.01.2018 के परिपेक्ष में अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 25.04.2018 पर गहनता से विचार किया गया तथा अपीलार्थी से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि द्वितीय वेतन श्रृंखला की नियुक्ति के आधार पर श्री शर्मा का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वर्ष 1956–61 की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 2860 पर इनका नाम अंकित था तदुपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वरिष्ठ अध्यांपक वर्तमान व्याख्याता वाणिज्य पद पर कार्यग्रहण करने के फलस्वरूप दिनांक 25.08.1967 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए वर्ष 1966–71 की वरिष्ठता सूची में श्री शर्मा का नाम 1098 पर अंकित रहा है। उक्त वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 1994–95 की रिक्तियों के विरूद्व उप प्रधानाचार्य एवं 1995–96 की रिक्तियों के विरूद्व प्रधानाचार्य के पद पर चयन किया जाकर तद्नुरूप समस्त परिलाभ श्री शर्मा को दिए गए है क्योंकि श्री शर्मा 1967 में वरिष्ठ अध्यापक वर्तमान व्याख्याता पद पर चयनित होकर उच्च पद का लाभ ले चुके थे एवं तद्नुरूप वरिष्ठता का लाभ भी दिया गया था। प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार उच्च पद पर चयन उपरान्त स्थाई होने पर निम्न पद का लियन स्वतः ही समाप्त हो जाता है अतः श्री शर्मा द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला पद से देय पदोन्नति के परिलाभ समाप्त हो चुके थे। विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक वर्तमान व्याख्याता पद पर स्थाई उपरान्त नियमानुसार द्वितीय वेतन श्रृंखला से लियन समाप्ति के कारण इनका नाम द्वितीय वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता सूची से विलोपित किया जाना था किन्तु विभागीय त्रुटिवश ऐसा नहीं हुआ और द्वितीय वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता के आधार पर विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद की वर्ष 1987–88 की रिक्तियों के विरूद्व श्री शर्मा का चयन किया जाकर पदस्थापन आदेश जारी किये गये। विभाग द्वारा हुई त्रुटि ध्यान में आने पर विभागीय आदेश 04.03.1996 के द्वारा त्रुटि संशोधन करते हुए चयन, पदस्थापन आदेश को निरस्त किया गया। विभागीय अभिलेखों के आधार पर श्री शर्मा का व्याख्याता पद की वरिष्ठता के आधार पर देय पदोन्नति परिलाभ स्वीकृत किये जा चुके हैं और किसी प्रकार के पदोन्नति परिलाभ बकाया नहीं की स्थिति पाई गई। अपीलार्थी द्वारा अपनी परिवेदना माननीय लोकायुक्त सचिवालय में दिनांक 16.01.2002 को प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर पत्र दिनांक 27.06.2002 के द्वारा वस्तुस्थिति माननीय लोकायुक्त सचिवालय को भिजवाई गई।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा अपना प्रकरण सतर्कता समिति अजमेर के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया जिसमें भी विभाग द्वारा वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई।

विभाग द्वारा इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनाऐं भी उपलब्ध करवाई जाती रही हैं तथा समय–समय पर इनके द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं को पूर्व में पंजिकाओं पर तत्कालिक विभागाध्यक्षों द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर निस्तारित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी द्वितीय वेतन श्रृंख्ला की वरिष्ठता के आधार पर विभाग के समक्ष अपनी परिवेदनाए प्रस्तुत करना तथा विभाग द्वारा नियमों के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए इनके द्वारा चाहे गये अनुतोष नियमानुसार नहीं होने के कारण इनकी परिवेदनाओं का निस्तारण होना पाया गया।

अपीलार्थी का सीधी भर्ती से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (वर्तमान व्याख्याता) पद पर चयन हो जाने के कारण पूर्ववर्ती पद की वरिष्ठता का लियन समाप्त हो जाने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमाकः शिविरा/मा/सस्था/बी–III/कोके/2292/2016/10 दिनांकः– 11.09.2019

प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. सम्बन्धित याचिकार्थी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner